

15.36 hrs.

Title: Representation of the People (Second Amendment) Bill, 2002 (Bills passed)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COAL AND MINES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration. "

Sir, under article 171 of the Constitution, the election of MLC will also come under the local body. In the Fourth Schedule to the Representation of the People Act, the names of the local bodies are given for various States. In Bihar, the earlier name was municipality, etc. The Bihar Legislature has changed the names of those bodies. Municipality has become Nagar Panchayats and a whole lot of other names have come. Those new names are sought to be incorporated in the Fourth Schedule. That is the only thing. Therefore, I request that we can pass this Bill without any discussion.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration. "

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, जिस दिन यह बिल इन्ट्रोड्यूस हुआ था, उस दिन बिल का नाम था - लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन), लेकिन आज हो गया है - लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन)। नाम अपने मन से कैसे बदलता रहता है, इस बारे में मंत्री जी को जवाब देना चाहिए।

महोदय, बिहार राज्य का बंटवारा हो गया है। बिहार राज्य में लैजिस्लेटिव काउन्सिल हैं। काउन्सिल के लिए सात निकायों - नगर परिषदें, छावनी बोर्ड, नगर पंचायतें, जिला परिषदें, पंचायत समितियाँ, नगर निगम (कारपोरेशन) और ग्राम पंचायतें - के सदस्य वोटर होंगे। इन संस्थाओं के द्वारा काउन्सिल के सदस्य चुने जायेंगे। पहले काउन्सिल में 96 सदस्य थे और 32 स्थानीय निकाय के सदस्य थे। बिहार का बंटवारा होने के बाद बिहार विधान सभा में 324 के स्थान पर 243 सदस्य हो गए हैं। मेरा प्रश्न है, यहां कितने सदस्यों की सीटें होंगी और इनका निर्धारण कैसे होगा? मेरे विचार में यह विधेयक लापरवाही में लाया गया है, नहीं तो माननीय मंत्री जी बतायें कि विधान परिषद में कितनी सीटें होंगी और स्थानीय निकायों में कितनी सीटें होंगी, जो काउन्सिल के लिए वोटर होंगे?

एक लाख 35 हजार पंचायतों में सदस्य चुने गए। लाख से 500 की आबादी पर एक सदस्य चुना गया। ग्राम पंचायत में मुखिया भी एक वोटर हो जाएगा और वार्ड का सदस्य भी वोटर होगा। उसी तरह नोटिफाइड ऐरिया का जो चुना गया है, वह भी सदस्य होगा। इन सभी सदस्यों की संख्या लगभग एक लाख 40 हजार के करीब है - एक लाख 35 हजार पंचायत का होगा और बाकी नगर निकायों का होगा। आप यह स्पष्ट करें कि उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी। कांस्टीट्यूशन में दिया हुआ है -

Article 171 (1) says:

"The total number of members in the Legislative Council of a State having such a Council shall not exceed one-third of the total number of members in the Legislative Assembly of that State."

मतलब टोटल नम्बर जो होगा, असेम्बली में सदस्यों की संख्या 243 होगी। उसके 81 से ज्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए। 243 का तिहाई हुआ 81, मतलब 81 से अधिक काउंसिल के सदस्य नहीं होंगे। बिहार आर्गनाइजेशन एक्ट पारित हुआ। उसकी धारा 27 में कहा है कि नीयत दिन से ही बिहार की विधान परिषद में 92 स्थान होंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विद्यमान प्रविटी दो के स्थान पर निम्नलिखित प्रविटी रखी जाएगी। इस विधेयक में संशोधन लाने के समय बिहार आर्गनाइजेशन एक्ट को देखने का काम नहीं हुआ। यह अनकांस्टीट्यूशनल है। इसलिए इन सभी मामलों को मंत्री जी स्पष्ट करें कि उसका परिसीमन कैसे होगा। पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्थानीय निकायों के लिए 34 सदस्य होते थे और अब कितने सदस्य होंगे और उन सदस्यों में से कितने सदस्य चुने जाएंगे।

मंत्री जी जो विधेयक लाए हैं, यह कांस्टीट्यूशनल मामला है और अभी तक सारा अनकांस्टीट्यूशनल चल रहा था।

Article 171 (3) says:

"Of the total number of members of the Legislative Council of a State"

(a) as nearly as may be, one-third shall be elected by electorates consisting of members of municipalities, district boards and such other local authorities in the State as Parliament may by law specify "

आर्टिकल 171 को मंत्री जी देख लें, क्लॉज 1 और आर्टिकल 171 के क्लॉज तीन, तीन का सब-क्लॉज ए - इन सब के बारे में आप बताइए। यह जो स्थानीय निकायों का इलेक्टोरेट बनाया है, इनमें कुल सदस्यों की संख्या क्या होगी। असेम्बली की जो संख्या है, उसके एक-तिहाई से काउंसिल का गठन नहीं होगा, उसके कुल सदस्यों की एक-तिहाई संख्या से गठन होगा। स्थानीय निकायों से जो लोग चुने जाएंगे। इसे मंत्री जी स्पष्ट कर दें और तब विधेयक पारित करें।

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : रघुवंश जी, बिहार सरकार और बिहार विधानसभा ने पूरी पंचायतों को नाम नया कर दिया है - नगरपालिका का नगर पंचायत है, लेकिन अभी कानून में नगरपालिका लिखा हुआ है। अगर यह कानून रहेगा तो विधान परिषद का चुनाव लोकल बॉडीस से हो ही नहीं सकता है, नम्बर की बात बाद में होगी। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि आप चुनाव जल्दी कराइए। (ख)

वधान)अभी यह संशोधन जरूरी है, इसे पास होने दीजिए तब इसके बाद इस लोकल बॉडीज़ से विधान परिद के लोग चुने जाएंगे।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : कितने सदस्य होंगे?

श्री रवि शंकर प्रसाद : संविधान के अनुसार उसकी व्यवस्था होगी। यह अमेंडमेंट नहीं करियेगा तो एक भी चुनाव नहीं होगा।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अमेंडमेंट्स में हमें एतराज नहीं है। अगर कोई कानून का जानकार न रहता तो हम यह सवाल नहीं उठाते। यह संवैधानिक मामला है। जो समितियां होंगी और उनमें जो इलैक्टोरेट्स होंगे, वे कितने सदस्यों को चुनेंगे, यह बता दें। आपने संविधान के बारे में कहा, तो संविधान हमने बता दिया।

श्री रवि शंकर प्रसाद : बिहार की विधान सभा परिद सीटों में से 24 लोकल बॉडीज की सीट्स हैं। अगर परिवर्तन की गुंजाइश होगी तो अलग से विचार कर लेंगे।

MR. CHAIRMAN : Dr. Raghuvansh Prasad Singh, the Minister has replied to your query. Please take your seat.

...(Interruptions)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आप हमें उत्तर लिखित में दे दीजिएगा। हमारा सजेशन है कि आप आर्टिकल 171 उठाकर पढ़ लें। उसमें है कि असैम्बली के संख्या का एक-तिहाई कौंसिल का गठन करेगा और जितनी कौंसिल की संख्या होगी, उसका एक-तिहाई सदस्य 98 निकायों से चुने जाएंगे। लेकिन उसके हिसाब से असैम्बली की कुल संख्या 243 है। उसका एक-तिहाई 81 होता है और 81 का एक-तिहाई 27 होता है। संविधान के मुताबिक 27 सदस्य चुने जाएंगे। लेकिन जो बिहार रिओर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ है वह असंवैधानिक था, उसमें 96 से घटाकर 92 किया गया। That is not more than one-third of the total strength of the Assembly. ...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Dr. Raghuvansh Prasad Singh, your time is over.

...(Interruptions)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आप बिहार रिओर्गेनाइजेशन एक्ट की धारा 17 को देख लीजिए।

MR. CHAIRMAN: Dr. Raghuvansh Prasad Singh, you cannot argue like that. You have made your speech.

...(Interruptions)

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL (PATAN): Why are you in a hurry to pass the Bill? I do not understand it.

...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: This Bill was allotted a time of half-an-hour in the Business Advisory Committee meeting. You all were there in that meeting.

...(Interruptions)

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : Do you want to take a political advantage? ...(Interruptions)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह संवैधानिक है। (व्यवधान) 29 लाख आबादी का सवाल है। (व्यवधान) आसन को निपक्ष होना पड़ेगा। (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Dr. Raghuvansh Prasad Singh, why are you so aggressive?

...(Interruptions)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हमने सहज में कहा कि हम अपनी बात एक मिनट में बता देते हैं। (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Dr. Raghuvansh Prasad Singh, why are you so aggressive? This is very bad. I have given you more time. You have already made your speech.

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : This Bill can be passed in the next Session. The Government can bring it in the next Session. ...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I do not understand (व्यवधान)

...(Interruptions)

SHRI SHANKAR PRASAD JAISWAL (VARANASI): Sir, he is challenging your ruling. ...(Interruptions)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति जी, मेरा सजेशन यह है कि माननीय मंत्री जी कृपा करके आर्टिकल 171 देख लें और बिहार रि-ओर्गेनाइजेशन एक्ट की धारा 17 को देख लें। आप जो विधेयक पास करा रहे हैं उसके मद्देनजर हमने जो सवाल दोनों धाराओं के अंतर्गत उठाए हैं उन्हें देखकर आप हमें अपना जवाब लिखित में एक सप्ताह में दे दें।...(Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COAL AND MINES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Sir, I will give reply to hon. Member Dr. Raghuvansh Prasad Singh. ...(Interruptions) I am only requesting that the amendment to the Fourth Schedule is

needed. वह भी चाहते हैं कि चुनाव जल्दी हों। हम भी चाहते हैं कि चुनाव जल्दी हों। हाई कोर्ट का भी निर्देश है इसलिए आप इसे सहमति दे रहे हैं। मेरा यही विनम्र आग्रह है कि इस बिल को पास करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आपने संविधान को ताक पर रख दिया इसलिए हमने आपका ध्यान आकर्षित किया।

श्री रवि शंकर प्रसाद: धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is :

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The House will now take up the Legislative Business, in the Supplementary List of Business. Shri Jua Oram to introduce a Bill.

...(Interruptions)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को लूटा जा रहा है और उन पर लाठियां बरसायी जा रही हैं। जनपद सीतापुर में तीन विधायकों को बुरी तरह लाठियों से मारा गया।

MR. CHAIRMAN: What is this? Please go to your seats.

...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I am not able to hear anything.

15.52 hrs.

(At this stage Shri Kunwar Akhilesh Singh and some other Hon. Members came and stood near the Table)

MR. CHAIRMAN: What do you want? We are having a discussion.

...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please go to your seats and tell me as to what do you want.

I will hear you, one by one.

...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The House is in disorder. Nobody bothers about the rules.

...(Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Sir, what about the statement by the hon. Minister of Law and Justice on *Tehelka* enquiry? ...(*Interruptions*)

SARDAR BUTA SINGH (JALORE): Sir, the farmers of Uttar Pradesh are being mercilessly beaten by the Government of Kumari Mayawati. ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: We are having a discussion under Rule 193 on the sugarcane issue. I will call you one by one.

...(*Interruptions*)

15.53 hrs.

(At this stage Kunwar Akhilesh Singh and some other Hon. Members went back to their seats.)